कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी, सूरजपुर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर
पत्र क्र. 88 दिनांक 15/05/17
शाखा
11 MAY

क्रमांक / /मु.लि. / 2017 सूरजपुर, दिनांक मई 2017

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.),

विषय :– **भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 / अ–82 / 2016–17, ग्राम–तेजपुर में अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

––::––

विषयांतर्गत भू–अर्जन प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) अधिसूचना तीन तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सही

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 693A /मु.लि. / 2017 सूरजपुर, दिनांक 08 मई 2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा / एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक–एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार, रामानुजनगर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, एवं तहसील कार्यालय, रामानुजनगर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।
3. तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित जिला कार्यालय, अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 10 /04/2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 /अ–82/16–17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा–11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

–:: अनुसूची ::–

भूमि का प्रकार					धारा–12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	रामानुजनगर	तेजपुर प.ह.नं. 1	10/2	0.036	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग–सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू–अर्जन
			8/2	0.052		
			7	0.112		
			12	0.028		
			14	0.068		
			16	0.068		
			22	0.040		
			684	0.112		
			19	0.088		
			20	0.104		
			678	0.128		
			681	0.116		
			692	0.076		
			694	0.056		
			695	0.088		
			696	0.088		
			702/3	0.028		
			712/4	0.028		
			702/2	0.028		
			712/3	0.024		
			707	0.016		
			702/1	0.028		
			705/8	0.016		
			706/1	0.024		
			705/6	0.028		
			713/1	0.028		
			712/2	0.032		
			706/2	0.052		
			712/5	0.004		
			713/3	0.020		

			1869	0.016		
			1868	0.120		
			1867	0.044		
			1888	0.032		
			1887	0.112		
			1891	0.048		
			1892	0.004		
			1904	0.064		
			1905	0.088		
			1954	0.024		
			1976	0.008		
			1900	0.004		
			1908	0.012		
			1927	0.004		
			1958	0.020		
			1901/1	0.076		
			1959	0.024		
			1960	0.072		
			1950	0.056		
			1978	0.012		
			1940	0.120		
			1982/1	0.020		
			1984/2	0.044		
			1982/2	0.008		
			1984/1	0.044		
			1986	0.012		
			1987	0.060		
			1949	0.004		
			693	0.020		
			1901/2	0.012		
			1961/1	0.004		
			1977/1	0.004		
			1941/2	0.020		
			1941/3	0.032		
			1941/4	0.008		
			1941/5	0.020		
			1941/6	0.016		
			705/7	0.024		
		योग :–	**68**	**2.928**		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत् सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला–सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)
कलेक्टर,
जिला–सूरजपुर
एवं पदेन संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर